

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
क्रमांक :- 54

दिनांक :- 23/8/21

॥ कार्यालय आदेश ॥

राजस्थान राज्य के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह का आकस्मिक देहावारान होने के कारण, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश/अधिसूचना क्रमांक ई.वी./13/2021/ दिनांक 22.08.2021 द्वारा, आज दिनांक 23.08.2021 का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। उक्त आदेश के अनुरारण में आज दिनांक 23.08.2021 के लिये श्री प्रशान्त पूनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से संबंधित कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवसों को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवसों से पूर्व दिवसों को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्याय क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। उक्त ड्यूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है, तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवसों की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही संबंधित अधिकारी के ड्यूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांक :- 55 7 7 3

दिनांक :- 23/8/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/उनियारा/मालपुरा/निवाई
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/देवली/टोडारायसिंह/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक
6. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक
7. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक
8. सहायक सामाजिक निरोधक दल, टोंक
9. पुलिस कंट्रोल रूम, टोंक
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर आदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाईड पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक